न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2017 (डूंगरपुर आर्डर)

1. श्री पूरण कुमार पिता श्री मुरलीधर सेवक निवासी डूंगरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर डूंगरपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 (ख) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर डूंगरपुर दिनांक 06–08–2015 प्रकरण क्रमाक राजस्व भू0रू0/2014–15/5105–09

———/———

उपस्थित बवक्त बहस :–

1– श्री उत्तम प्रकाश आमेटा अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय अधिवक्ता

——————/——————

आदेश **दिनांक 05–04–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में धारा 75 (ख) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–8–2015 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में 3–4–2017 को पेश की। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय डूंगरपुर द्वारा आराजी नंबर 39, 157, 159 ग्राम सरकण कोपचा किस्म मगरी में से कूल रकबा 26 बीघा भूमि को राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित रखने का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर व तहसीलदार डूंगरपुर की अनुशंषा, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर उक्त 26 बीघा भूमि का राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने का आदेश

दिनांक 6–8–2015 को पारित किया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 3–4–2017 को प्रस्तुत की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन व अखण्डित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया तथा अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण निर्णय की जानकारी नहीं होने के तथ्य वर्णित किये। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी नहीं होने के कारण मयाद कण्डोन की जाती है तथा अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा–96 जाब्ता दीवानी का भी आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था तथा विवादित भूमि महारावल डूंगरपुर द्वारा पत्ते पर भंवरसिंह व पर्वतसिंह को बक्षीश में दी गई। भूमि को सिलिंग कार्यवाही में मान्यता दी गई। अपीलान्ट प्रार्थी ने यह भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि जिला कलक्टर, राजस्व अपील अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी के निर्णय से होती है। इसलिए अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार है। अतएव उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाय। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है। आवेदन के साथ अपीलान्ट द्वारा आदेश–41, नियम–27 का आवेदन भी प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी के सिलिंग फैसेल, भू–प्रबन्ध विभाग के निर्णय, विक्रय पत्र, आर.ए.ए. के निर्णय दिनांक 5–2–2001 की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की। राजकीय रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि होने से तथा प्रासंगिक होने से आवेदन स्वीकार कर पेश शुदा दस्तावेजात न्यायहित में रेकर्ड पर रखने की अनुज्ञा दी जाती है।

प्रकरण में हम दफा–96 जाब्ता दीवानी के आवेदन का निर्णय, अपील पर विवेचन के साथ ही करना उचित समझते है।

अधिनथ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की और से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता तथा अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की, वहीं राजकीय अधिवक्ता ने

अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि ग्राम सरकण कोपचा की 451 बीघा 7 बिस्वा भूमि दिनांक 14–3–1959 को महारावल डूंगरपुर द्वारा पट्टा संख्या 20 से दी गई। यह भूमि महारावल की निजी संपति थी, जिसे उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के यहां सिलिंग प्रकरण संख्या 1/72 में क्रम संख्या–5 पर मान्यता दी गई। भूमि का स्वामित्व भेरूसिंह एवं पर्वतसिंह को प्राप्त होने के बाद दोनों पक्षों के विभाजन के बाद 500/–रूपये में 14–12–1967 को प्रार्थी के पिता मुरलीधर को 25 बीघा भूमि विक्रय होकर तब से क्रेता काबिज है। जिला कलक्टर डूंगरपुर के यहां खसरा नंबर 159 के अतिक्रमण की बेदखली कार्यवाही में आर.ए.ए. उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 5–2–2001 में उक्त भूमि को ग्राम सरकण कोपचा की ही माना तथा भू–प्रबन्ध विभाग ने भी खसरा परिशोधन के निर्णय दिनांक 18–7–1979 से उक्त भूमि को सरकण कोपचा की ही मानी। जिला कलक्टर डूंगरपुर ने अपने पत्र क्रमांक 820–21 दिनांक 31–3–2010 से तहसीलदार डूंगरपुर को भूमि नियमन के लिए कार्यवाही कर निर्दिष्ट किया। तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 5–2–2001 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की, जो विचाराधीन है। प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है, लोक अदालत ने निराधार उक्त भूमि को राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दिया गया, जबकि सिलिंग के निर्णय, भू–प्रबन्ध विभाग के निर्णय तथा जिला कलक्टर के निर्देश, राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय अनुसार यह भूमि प्रार्थी की होकर किया गया सेट–अपार्ट विधि विरूद्ध है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि इस प्रकरण में सर्व प्रथम हम प्रार्थी के दफा–96 जाब्ता दीवानी के आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है।

प्रकरण में जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन आदेश की ग्राम सरकण कोपचा की आराजी नंबर 39 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में से 1 बीघा, आराजी नंबर 157 रकबा 52 बीघा 4 बिस्वा में से 5 बीघा, आराजी

नंबर 159 रकबा 186 बीघा 11 बिस्वा में से 20 बीघा भूमि जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम पहाड़ियां एवं पर्वत बने है तथा किस्म मगरी को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किया है।

ग्राम सरकण कोपचा की आराजी नंबर 39, 157 व 159 में अपीलान्ट की हितबद्धता का आधार अपीलान्ट प्रारम्भ होना इस आधार पर बताता है कि उपखण्ड अधिकारी के सिलिंग प्रकरण संख्या 1/72 में क्रम संख्या 5 पर परिशिष्ठ 1–ब में वर्णित 451 बीघा 7 बिस्वा भूमि भेरूसिंह व पर्वतसिंह के नाम सरकण कोपचा के हस्तान्तरण को मान्यता दिया जाना बताया गया है। सरकण कोपचा के भेरूसिंह व पर्वतसिंह को आराजी नंबर 39, 157 व 159 की भूमि महारावल द्वारा दी गई हो, इस हेतु न तो फैसले में उल्लेख है, न ही बक्षीशनामा प्रस्तुत है, जिससे उक्त मान्यता प्राप्त भूमि ही अपीलाधीन भूमि हो यह प्रमाणित है। भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा परिशोधन में भी आराजी नंबर 39, 157 व 159 का कोई उल्लेख नहीं है। अपीलान्ट के पिता ईश्वरसिंह से जो भूमियां पंजीकृत विक्रय पत्र 5–12–1967 को क्रय की गई है। उसमें भी आराजी नंबर 39, 157 व 159 का उल्लेख नहीं है। प्रकरण में जहां तक राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 5–2–2001 का प्रश्न है, उसमें अतिक्रमण के नियमन बाबत् आराजी नंबर 159 रकबा 25 बीघा के नियमन का उल्लेख/निर्देश है, वह भी आराजी नंबर 159 के 25 बीघा बाबत्, जिसकी अपील राजस्व मण्डल में लम्बित होना अपीलान्ट स्वयं बताता है अर्थात आराजी नंबर 39, 157 व 159 में से आराजी नंबर 39 व 157 से प्रार्थी सह–संबंध होने की तो कोई साक्ष्य ही नहीं है, परन्तु आराजी नंबर 159 पर अतिक्रमण के नियमन बाबत् निर्देश है, जिसकी अपील विचाराधीन है अर्थात अपीलान्ट अपीलाधीन आराजीयात में से आराजी नंबर 159 पर राजस्व अपील अधिकारी के निर्णयानुसार अतिक्रमण नियमन के निर्देश जो स्वंय विवादित होकर राजस्व मण्डल में विचाराधीन है के आधार पर स्वयं की हितबद्धता बताता है। अतिक्रमी का प्रथम दृष्टया कोई लोकस–स्टेण्डाई नहीं है तथा नियमन बाबत् कोई प्रभावी आदेश प्रचलित/जारी नहीं है। अतएव इस हद तक भी अपीलान्ट की हितबद्धता एवं व्यथित होना नहीं माना जा सकता। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में भूमियों को सिर्फ सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किया है

जिससे जमीन के मौलिक स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अपीलान्ट की अंतिम हितबद्धता का कोई प्रभावी विधिक निर्णय भी उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में हम अपीलान्ट को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार अपीलाधीन आदेश में नहीं पाते।

अतः अपीलान्ट का दफा–96 जाब्ता दीवानी का आदेश पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा उपरोक्त विवेचनानुसार अपील गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 6–8–2015 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 05–04–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर